कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 16047/प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल.................................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड...................................

विषयः–बिना स्थायी वर्गीकरण आदेश वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के न्यायालयीन प्रकरणों में **"अभ्यावेदन निराकरण आदेश"** जारी करने हेतु **"आदेश प्रारूप"** भिजवाने विषयक।

––0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा जिनके संबंध में स्थाई वर्गीकरण का आदेश जारी नहीं हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यूनतम वेतन एवं वेतन अंतर की एरियर राशि प्राप्त करने के लिये रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस कार्यालय के स्तर पर विभिन्न परिक्षेत्र स्तर से जारी किये जा रहे अभ्यावेदन निराकरण आदेशों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि मुख्य रूप से याचिकाकर्ता क़र्मचारियों के पक्ष में स्थाई वर्गीकृत किये जाने संबंधी आदेश जारी नहीं होने के एकमात्र आधार पर अभ्यावेदनों को अमान्य करने संबंधी आदेश जारी किये जा रहे हैं।

इस कार्यालय का मानना है कि इस प्रकृति के अभ्यावेदन निराकरण आदेश को आधार बनाकर भविष्य में पुनः याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा नई याचिकायें माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं, जिनका बाद में प्रतिरक्षण मुश्किल हो सकता है। इसलिये प्रथम स्तर पर ही अभ्यावेदन निराकृत करते समय विभाग/शासन के पक्ष के सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकृति के कुछ न्यायालयीन प्रकरणों में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किये गये हैं। ऐसा ही एक **"आदेश नमूना"** जिसमें विभागीय पक्ष के सभी

Seema letter

संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है। इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है।यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से पूर्व में जारी आदेश प्रारूपों का परीक्षण कर लें, तथा जिन प्रकरणों में आपके द्वारा अति आवश्यक समझा जावे, उन प्रकरणों में संशोधित आदेश भी ''नमूना आदेश प्रारूप'' के अनुसार'' जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना–7 पेज

27/12
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 16047/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपी :–

प्रमुख सचिव महोदय, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
आदेश नमूना–7 पेज

27/12
प्रमुख अभियंता

Seema letter

अभ्यावेदन निराकरण आदेश का नमूना

प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक /प्र.अ.(विधिं)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 30149/2022 (कमलेश कुमार साहू एवं 37 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जबलपुर/मैकेनिकल खंड जबलपुर के अधीनस्थ कार्यरत स्थाई कर्मी कर्मचारियों कमशः (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) (4) श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं (5) श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर) के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री कमलेश कुमार साहू एवं 37 अन्य दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क .30149/2022 दायर कर, माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

(अ) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान, मंहगाई भत्ते के साथ तथा एरियर राशि प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों के प्रकरणों का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य'' में पारित निर्णय के प्रकाश में, विचारण करें।

(स) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों (Annexure P/3 एवं P/4) पर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते डुए विचार करें एवं उन्हें निराकृत करें ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

Accordingly, it is directed that on the petitioners' filing a certified copy of this order along with a fresh representation within fifteen days from today before respondent nos. 1 and 2, the same shall be decided through a speaking order within a further period of ninety days under communication to the petitioners.

This court has not expressed any opinion on the merits of the case.

In above terms, the petition is disposed of.

(3) रिट याचिका क. . 30149/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के अनुपालन में स्थाई कर्मी कर्मचारियों कमशः (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) एवं (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) द्वारा कार्यपालन यंत्री, मैकेनिकल खंड जबलपुर के समक्ष एक ही प्रकृति के

अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये है, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैंकेनिकल खंड
सूपाताल जबलपुर (म0प्र0)

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. कमांक 30149/22 के आदेश दिनांक 07.02.23 के परिपालन में न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर राशि का एरियर भुगतान के संबंध में।

महोदय जी,

निवेदन है कि प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी.कमांक 30149/2022 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 07.02.2023 को पारित निर्णय के अनुसार दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी का न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे ।

(4) रिट याचिका क्र. . 30149/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के अनुपालन में स्थाई कर्मी कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं (2) श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर) द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के समक्ष एक ही प्रकृति के अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये है, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल

विषयः– वेतनमान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता एवं अन्य लाभ प्रदान किये जाने बावत।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं आपके अधीनस्थ कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड जबलपुर में हेल्पर के पद पर दिनांक — से कार्यरत हूँ, तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जबलपुर के पत्र क्रं. — के आदेश के तहत मेरा वेतन का निर्धारण किया गया था एवं मेरा यूनिक एम्पलाई कोड — है।

मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रं. WP/30149/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2023 के परिपालन में एक अभ्यावेदन मूल आदेश की प्रति व विभाग को पूर्व में दिये गये समस्त आवेदन–पत्र, नियुक्ति पत्र सहित आपके समक्ष दिनांक 14.02.2023 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वेतन के अंतर की राशि वेतनवृद्धि सहित मंहगाई भत्ता एवं अन्य लाभ सहित भुगतान करने हेतु प्रार्थना की गई थी, परंतु

महोदय जी, आज दिनांक तक मुझे कोई भी भुगतान की राशि प्रदाय नहीं की गई है।

अतः महोदय जी से विनम्र प्रार्थना है कि मुझ स्थायी वर्गीकृत कर्मचारी के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्र. WP/30149/2022 में पारित आदेश के पालनार्थ मेरे वेतन के अंतर की राशि, वेतनवृद्धि सहित मंहगाई भत्ता एवं अन्य लाभ के भुगतान राशि का भुगतान करने की महंती कृपा की जावे।

(5) रिट याचिका क्रमांक 30149/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 का परिपालन नहीं हो पाने के कारण दो वादी कर्मचारी क्रमशः श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर)द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष अवमानना याचिका क्रमांक 5372/2023 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

(6) रिट याचिका क्रमांक 30149/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जबलपुर/मैकेनिकल खंड जबलपुर के अधीनस्थ कार्यरत स्थाई कर्मी कर्मचारियों क्रमशः (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) (4) श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं (5) श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर) के अभ्यावेदनों का निराकरण (स्वत्वों का निर्धारण). निम्नानुसार किया जा रहा है :-

(i) सभी 05 स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा स्वयं को स्थाई वर्गीकृत कर्मचारी बताते हुए, रिट याचिका क्रमांक 30149/2022 में Annexure P/3 एवं P/4 में संलग्न किये गए अभ्यावेदनों में, म. प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक F /16 – 16/2020/1/34 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश क्रमांक F/16–19/2022/1/34 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार न्यूनतन नियमित वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि की मांग की गयी है।

उपरोक्तानुसार उनके द्वारा निम्न प्रकृति से स्थायी वर्गीकृत होने वाले श्रमिको को प्राप्त होने वाले लाभ चाहे गये हैं:-

(अ) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा सभी कार्य परिस्थितियों के विश्लेषण उपरान्त पारित किये गये न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।

(ब) मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाये) अधिनियम 1961,नियम 1963 के अनुपालन में प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।

इस संबंध में उनको यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके संबध में ऊपर उल्लेखित प्रकृति का कोई आदेश अस्तित्व में नही है।

इस संबंध में भी यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा (2007 1 एस.सी.सी. 575)" एवं अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 "रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य" में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि मात्र 6 माह/240 दिवस पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य करने से स्थाई वर्गीकरण

की पात्रता उत्पन्न नहीं होती, जब तक कि इस हेतु स्थाई वर्गीकृत रिक्त पद उपलब्ध न हो।

इन कर्मचारियों के नियोजन के समय खंड जबलपुर/मैकेनिकल खंड जबलपुर के अधीनस्थ स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी के पद ना तो स्वीकृत थे और ना ही रिक्त थे तथा आप सभी रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों के अनुसार आप सभी स्थायी वर्गीकरण के योग्य भी नहीं थे :–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 6678/2004, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 07.12.2005
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 5185/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 24.11.2006
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 7006–7008/2009, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 1265/2006, म.प्र.हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2006
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 337/2002, महेन्द्र एल.जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन कमांक 1992/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 4148/2000, 4149/2000 एवं 4151/2000 एवं 4152/2000 दिनांक 02.02.2017

उपरोक्तानुसार उनके द्वारा की गयी मांग कि उनको पद का नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना का न्यूनतम वेतनमान,एरियर्स राशि सहित प्रदान किया जावे, किसी भी भांति तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य की जाती है।

यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित/कार्यभारित /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण आदेशों के कारण प्राप्त हुये है तो इस आधार पर याचिकाकर्ता कर्मचारियों को भी नियोजन के 240 दिवस पश्चात् से स्थायी वर्गीकरण के लाभ दिये जाने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **"इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य" [(1997) एस. सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(ii) "म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कं. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 — कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों" को विनियमित करने की योजनां"के अतंर्गत उनको उनके दैनिक वेतन भोगी पद के अनुरूप कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रेणी के अंतर्गत विभाजित कर, शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार उनको उनकी पात्रता के अनुसार वेतन संबधी सभी परिलाभ प्राप्त हुए है।

(7) यद्यपि आपके दावों को मेरिट के आधार पर निराकृत किया गया है तथापि यदि आपके दावे के आधारों में किसी भी तरह की मेरिट होती तो भी उनके द्वारा प्रस्तुत इतनी लम्बी अवधि की वेतन एरियर राशि का दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी अमान्य किये जाने योग्य होता । विवरण निम्नानुसार है :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ {(1995) 5 SCC 628}, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 ''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'' में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /20232, ''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'' में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में कॉज ऑफ एक्शन सेवा में रहने के दौरान कभी भी उत्पन्न हो सकता है तथा यदि दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो तत्समय के वेतन का समय–समय पर संशोधित रूप में काल्पनिक निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022, रिट पिटीशन कमांक 13892/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 (हृदय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) एवं रिट पिटीशन कमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर्स राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

(8) **उपरोक्तानुसार (1) श्री कमलेश कुमार साहू (हेल्पर) (2) श्री मनोज कुमार यादव (हेल्पर) (3) श्री रामसेवक पाली (हेल्पर) (4) श्री कृष्णकांत प्यासी (हेल्पर) एवं (5) श्री प्रदीप भल्ला (हेल्पर) सभी अभ्यावेदनकर्ता स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। कंडिका कमांक 6(ii) के अनुसार उन्हें उनके पद के अनुरूप कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रेणी में विभाजित कर वेतनमान तथा वेतन संबंधी सभी परिलाभों का भुगतान किया जा रहा है। रिट याचिका कमांक 5419/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।**

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र.   / प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023   भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य अभियंता (वि. / यां.), लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी मैकेनिकल,खंड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, खंड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(5) श्री ————————————————कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जबलपुर / मैकेनिकल खंड जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

प्रमुख अभियंता